

12/3/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व विशेषी  
को। उपरोक्त वकील प्रार्थी (वादी) द्वारा मूल वाद  
में Not Press करने से खारिज हो चुका है।  
अतः प्रार्थी का आवेदनपत्र में आगामी कार्यवाही-  
का कोई भौतिक नही रहा। प्रार्थी का आवेदनपत्र  
इसी स्तर पर निरस्त किया जाकर मूल वाद में Not  
Press करने से आवेदनपत्र खारिज किया जागा है।  
पत्रावली फाइल नुसार होकर दाखिल दफत (टोल नंबर सेक्टर)

*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
(फाइल-देक) चौहान

